

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश : जबलपुर


पृष्ठांकन क्रमांक.....B/2064...../ जबलपुर, दिनांक 11/04/2018.

प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल
2. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय म.प्र. खंडपीठ इंदौर, इंदौर (म.प्र.)
3. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय म.प्र. खंडपीठ ग्वालियर, नवीन उच्च न्यायालय भवन, सिटी सेंटर, ग्वालियर (म.प्र.)
4. संचालक, मध्यप्रदेश राज्य न्यायिक अकादमी, उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर,
5. रजिस्ट्रार (प्रशासन), उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर,
6. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, नियम-4, मंत्रालय, भोपाल
7. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, ग्वालियर,
8. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (लेखा), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर
9. आयुक्त कोष एवं लेखा, मध्यप्रदेश भोपाल, भोपाल
10. जिला कोषालय अधिकारी, जबलपुर/इंदौर/ग्वालियर
11. रजिस्ट्रार (आई.टी.), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर की ओर उच्च न्यायालय की वेबसाईट पर अपलोड कराने हेतु,
12. रजिस्ट्रार जनरल महोदय के निजी सचिव, उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर,
13. अनु. अधि., स्थापना/बजट/लेखा/पेंशन, उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर,
14. लेखाधिकारी (सैट), उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर,
15. सहायक स्थापना/पेंशन/वेतन पत्रक/वेतन निर्धारण/सेवा पुस्तिका, उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर,

की ओर, माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार रिट पिटीशन क्रमांक 7058/2016 (श्री किशन पिल्ले व अन्य विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन व अन्य) में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28-04-2017 एवं मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश फा.क्रमांक 1604/2018/21-ब (एक) भोपाल, दिनांक 02-04-2018 के परिपेक्ष्य में उच्च न्यायालय के ऐसे कर्मचारीगण जो दिनांक 01-04-2003 को वेतनमान रु. 5500-175-9000 (पुनरीक्षित वेतनमान रूपए 9300-34800 + 3600/- ग्रेड पे) से कम ग्रेड पे पर कार्य कर रहे थे, उन्हें दिनांक 01-04-2003 से एक अतिरिक्त वेतनवृद्धि तथा ऐसे कर्मचारीगण जो कि दिनांक 01-04-2003 को वेतनमान रु. 5500-175-9000 (पुनरीक्षित वेतनमान रूपये 9300-34800 + 3600/- ग्रेड पे) प्राप्त कर रहे थे, उन्हें दिनांक 01-04-2003 से दो अतिरिक्त वेतनवृद्धि स्वीकृत किए जाने तथा उच्च न्यायालय के ऐसे कर्मचारीगण जो दिनांक 01-04-2003 के पश्चात् एवं आदेश दिनांक अर्थात् 02-04-2018 तक के कर्मचारियों को जो वेतनमान रु. 5500-175-9000 (पुनरीक्षित वेतनमान रूपए 9300-34800 + 3600/- ग्रेड पे) से कम ग्रेड पे पर कार्य कर रहे थे, उन्हें नियुक्ति दिनांक से एक अतिरिक्त वेतनवृद्धि तथा दिनांक 01-04-2003 के पश्चात् एवं आदेश दिनांक अर्थात् 02-04-2018 तक के कर्मचारियों को जो वेतनमान रु. 5500-175-9000 (पुनरीक्षित वेतनमान रूपये 9300-34800 + 3600/- ग्रेड पे) प्राप्त कर रहे थे, उन्हें नियुक्ति दिनांक से दो अतिरिक्त वेतनवृद्धि स्वीकृत किए जाने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

संलग्न:- मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल  
का आदेश फा. क्रमांक 1604/2018/21-ब (एक)  
भोपाल, दिनांक 02-04-2018 की प्रतिलिपि.

  
11.4.18  
(सतीश चन्द्र राय)  
रजिस्ट्रार (प्रशा.)

## मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

॥ आदेश ॥

भोपाल, दिनांक ०२ अप्रैल, 2018

फा.क्रमांक 1604/2018/21-ब(एक) राज्य शासन, एतद्वारा रिट पिटी. क्रमांक 7058/2016 (किशन पिल्लई एवं अन्य विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन एवं अन्य) में पारित निर्णय दिनांक 28-04-2017 के पालन में उच्च न्यायालय के ऐसे कर्मचारीगण जो कि रूपए 3600/- ग्रेड पे से कम ग्रेड-पे पर कार्य कर रहे हैं, उन्हें दिनांक 01-04-2003 से एक अतिरिक्त वेतनवृद्धि तथा ऐसे कर्मचारीगण जो कि रुपये 3600/- ग्रेड-पे प्राप्त कर रहे हैं, उन्हें दिनांक 01-04-2003 से दो अतिरिक्त वेतनवृद्धि प्रदान करता है।

इस संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या 29-2014-न्याय प्रशासन (102) उच्च न्यायालय (0573) उच्च न्यायालय (भारित) की मद 11-वेतन भत्ते के अंतर्गत विकलनीय होगा।

यह स्वीकृति वित्त विभाग के पृष्ठांकन क्रमांक 626/460/18/क्रि./आ. के दिनांक 2.4.18 के अनुक्रम में जारी की जा रही है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
प्रमुख सचिव,  
मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग,  
भोपाल, दिनांक 02 अप्रैल, 2018

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

( ए.एम. सक्सेना )

प्रमुख सचिव,

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग,

भोपाल, दिनांक 02 अप्रैल, 2018

पृ.क्रमांक 1604/2018/21-ब(एक)

प्रतिलिपि:-

- 1- एक अतिरिक्त प्रति सहित सचिव, म.प्र. शासन, वित्त विभाग, नियम-4, मंत्रालय, भोपाल की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
  - 2- महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर,
  - 3- रजिस्ट्रार जनरल, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर,
  - 4- आयुक्त, कोष एवं लेखा, मध्यप्रदेश भोपाल,
  - 5- जिला कोषालय अधिकारी, जबलपुर,
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

( आर.क. वाणी )

सचिव,

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग.